न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2024/420 दर्ज तिथिः—09.09.2024

1. नरपतदान पुत्र रिड़मलदान
2. शक्तिदान पुत्र रिड़मलदान
3. सिरीया कंवर पत्नी आसूदान

जाति चारण निवासी डाबड़, तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

.... प्रार्थीगण

बनाम

1. कालू पुत्र धीमाराम
2. बाबू पुत्र धीमाराम
3. लाडू पुत्र धीमाराम
4. चम्पा पत्नी धीमाराम
5. जावताराम पुत्र भेराराम

   जाति विश्नोई निवासी कांधी की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
6. गोतमचन्द पुत्र रूगनाथमल
7. दुलारचन्द पुत्र रूगनाथमल
8. मनोज कुमार पुत्र रूगनाथमल
9. महेन्द्र कुमार पुत्र रूगनाथमल

   जाति जैन निवासी महाजनों का वास गुडामालानी जिला बाड़मेर
10. गोकलाराम पुत्र मानाराम
11. कानाराम पुत्र जेताराम
12. तेजाराम पुत्र जेताराम
13. ताराराम पुत्र जेताराम
14. भगवानाराम पुत्र जेताराम
15. भगवानाराम पुत्र प्रागाराम
16. रायमलराम पुत्र प्रागाराम
17. सुजाराम पुत्र प्रागाराम
18. वरजागाराम पुत्र प्रागाराम
19. सावलाराम पुत्र प्रागाराम
20. चतराराम पुत्र गजाराम
21. रिडमलराम पुत्र गजाराम
22. चम्पा देवी पत्नी गजाराम
23. जोगाराम पुत्र प्रहलादराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.05 20:21:34 IST
Reason: SelfAttested

24. मेघाराम पुत्र प्रहलादराम
25. शांतिदेवी पत्नी प्रहलादाराम
26. जामताराम पुत्र प्रागाराम
27. भंवराराम पुत्र पूनमाराम
28. रमकू देवी पत्नी पूनमा
29. भोमाराम पुत्र निम्बाराम
30. मगाराम पुत्र रामा
31. मेघा पुत्र प्रहलाद
32. मिठा पुत्र तेजा
    जाति माली निवासी गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
33. धनराज पुत्र सुरजमल
34. बाबूलाल पुत्र सूरजमल
35. श्रवण कुमार पुत्र सुरजमल
36. रामप्यारी पत्नी रामचन्द
    जाति जोशी निवासी गुड़ामालानी
37. मिश्री पुत्र मोतीराम
38. मिरगो पत्नी मोतीराम
39. प्रकाश पुत्र गणपत
40. धनराज पुत्र गणपत
41. मफी देवी पत्नी गणपत
    जाति ब्राहमण निवासी गुड़ामालानी

.................असल अप्रार्थीगण

42. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा गुड़ामालानी
43. शाखा प्रबंधक पीएनबी बैंक शाखा गुड़ामालानी
44. सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार पीडब्ल्यूडी गुड़ामालानी
45. ग्राम पंचायत गुड़ामालानी जरीये सरपंच गुड़ामालानी
46. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

.... तकमीली अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री जगदीश विश्नोई।
अप्रार्थीगण – एकतरफा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–ःसंशोधित निर्णयः–

निर्णय तिथिः–02.12.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल .... की खसरा संख्या 1626 / 0.5504 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.05 20:21:34 IST
Reason: SelfAttested

1648/2/1.0360 है0 मौजा कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी एवं खसरा संख्या 1648/0.2104 है0, 1626/11/0.7284 है0, 1626/4/0.1619 है0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार गुडामालानी के यहां प्रार्थना—पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार गुडामालानी के आदेश दिनांक 24.05.2024 एवं 14.08.2024 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 18.06.2024 एवं 14.08.2024 को मौके पर उपस्थित होकर उक्त आराजी का सीमांकन कराकर निशानदेही कराई गई। परन्तु अप्रार्थीगण पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 18.06.2024 एवं 14.08.2024 के आधार पर आराजी की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 18.06.2024 एवं 14.08.2024 के सीमांकन के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी को बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट निर्धारित चैकलिस्ट में तैयार करने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना में पटवार हल्का गुड़ामालानी ने दिनांक 01.10.2024 को मौके पर जाकर निर्धारित चैकलिस्ट में बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की। प्रकरण में वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा—152 सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 का पेश कर निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.11.2024 में लिपिकीय त्रुटि से खसरा संख्या 1626/0.5504 है0, 1648/2/1.0360 है0 मौजा कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी का ही नेखमबंदी हेतु आदेश दिये गये हैं। जबकि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना—पत्र में अपने सम्पूर्ण खसरा संख्या 1626/0.5504 है0, 1648/2/1.0360 है0 मौजा कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी एवं खसरा संख्या 1648/0.2104 है0, 1626/11/0.7284 है0, 1626/4/0.1619 है0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर हेतु आवेदन किया गया था। अंत में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 04.11.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए प्रार्थी के पीछे रहे खसरा संख्या खसरा संख्या 1648/0.2104 है0, 1626/11/0.7284 है0, 1626/4/0.1619 है0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर का भी नेखमबंदी करवाने का निवेदन किया गया।

3. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र में प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 1626/0.5504 है0, 1648/2/1.0360 है0 मौजा कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी एवं खसरा संख्या 1648/0.2104 है0, 1626/11/0.7284 है0, 1626/4/0.1619 है0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर हेतु नेखमबंदी हेतु आवेदन किया गया था। परंतु लिपिकीय त्रुटिवश खसरा संख्या 1626/0.5504 है0, 1648/2/1.0360 है0 मौजा कांधी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.05 20:21:34 IST
Reason: SelfAttested

की ढाणी तहसील गुडामालानी का ही आदेश पारित किया गया है। उक्त बहस के अवलोकन के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पीछे रहे खसरा संख्या 1648/0.2104 है0, 1626/11/0.7284 है0, 1626/4/0.1619 है0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर को शामिल करते हुए खसरा संख्या 1626/0.5504 है0, 1648/2/1.0360 है0 मौजा कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी एवं खसरा संख्या 1648/0.2104 है0, 1626/11/0.7284 है0, 1626/4/0.1619 है0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर की नेखमबंदी हेतु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

4. मैंने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries****.—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी सम्वंत 2075–2078 में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार गुडामालानी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम कांधी की ढाणी एवं गुड़ामालानी के अंकित इन्द्राज ... र उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित ... साथ ही ... पैमाइश दिनांक 18.06.2024 एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.05 20:21:34 IST
Reason: SelfAttested

14.08.2024 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार गुडामालानी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 1626/0.5504 है0, 1648/2/1.0360 है0 मौजा कांधी की ढाणी तहसील गुडामालानी एवं खसरा संख्या 1648/0.2104 है0, 1626/11/0.7284 है0, 1626/4/0.1619 है0 मौजा गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी कर सीमा निर्धारण किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुडामालानी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह संशोधित आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 02.12.2024 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.05 20:21:34 IST
Reason: SelfAttested